



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 258 राँची, गुरुवार,

2 जून, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

27 मई, 2022

संख्या-5/आरोप-1-25/2021-5483 (HRMS)-- श्री प्रभात भूषण सिंह, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-धनबाद), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके, राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3260/रा०, दिनांक 16.09.2021 के माध्यम से जिला स्थापना उप समाहर्ता, राँची के पत्रांक-2028(ii)/स्था०, दिनांक 10.08.2021 द्वारा आरोप-पत्र (प्रपत्र-क) गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध कांके अंचल अन्तर्गत मौजा-चामा, खाता सं०-87, प्लॉट सं०-1232 में सरकारी भूमि (संदिग्ध जमाबंदी) का अवैध तरीके से नामांतरण करने संबंधी गंभीर आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं ।

2. उक्त आरोप पत्र की प्रति विभागीय पत्रांक-6060, दिनांक 27.09.2021 द्वारा आरोपी पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, जो अब तक अप्राप्त है। आरोप पत्र में अंकित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं एवं श्री सिंह द्वारा अब तक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है ।

3. श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के आलोक में उन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में श्री सिंह को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	PRABHAT BHUSHAN SINGH (JHK/JAS/159)	श्री प्रभात भूषण सिंह, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-धनबाद), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके, राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।	27/05/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
